कार्यालय परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

संख्या–435 प्रावि0 / 13–04प्रावि / 12,   लखनऊ:दिनांक: 10 अप्रैल, 2013

सेवा में,

1. समस्त उप परिवहन आयुक्त(परिक्षेत्र),
   उत्तर प्रदेश।
2. समस्त संभागीय परिवहन अधिकारी,
   उत्तर प्रदेश।
3. समस्त सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी
   (प्रशासन / प्रवर्तन), उत्तर प्रदेश।

विषयः–ड्राइविंग लाइसेंस पर परिसंकटमय एवं खतरनाक माल ढोने वाले वाहनों से सम्बन्धित पृष्ठांकन किये जाने के सम्बन्ध में।

मा0 सदस्य, विधान सभा श्री बंशी सिंह पहाड़िया द्वारा नियम–167 / 168 के अन्तर्गत सूचना देते हुए अवगत कराया गया है कि कतिपय संस्थाओं द्वारा अनधिकृत रूप से परिसंकटमय एवं खतरनाक माल ढोये जाने हेतु लाइसेंस पर पृष्ठांकन हेतु चालकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

2. यह भी संज्ञान में लाया गया है कि उत्तर प्रदेश के सभी परिवहन कार्यालयों में प्रशिक्षित ड्राइवरों के लाइसेंस पर परिसंकटमय एवं खतरनाक वाहन चलाने हेतु पृष्ठांकन करने हेतु परेशान किया जाता है, जबकि गैर अधिसूचित स्कूलों द्वारा जारी प्रमाणपत्रो के आधार पर चालकों के लाइसेंस पर सुविधा शुल्क लेकर आसानी से पृष्ठांकन कर दिया जाता है।

3. उपरोक्त के दृष्टिगत मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा उत्तर प्रदेश के परिवहन कार्यालयों में अधिसूचित स्कूलों की सूची उपलब्ध कराते हुए ड्राइवरों के लाइसेंस पर पृष्ठांकन प्रक्रिया को सरल करने का अनुरोध किया गया है।

4. आप अवगत ही हैं कि उपरोक्त प्रकार का प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अधिकृत संस्थाओं का विवरण इस कार्यालय के परिपत्र संख्या–316प्रावि0 / 13–04प्रावि0 / 12, दिनांक 13मार्च, 2013 में देते हुए आपको निम्नवत् निर्देशित किया जा चुका हैः–

(क) अपने क्षेत्र में स्थित तेल कम्पनियों / एलपीजी आपूर्ति से सम्बन्धित सक्षम अधिकारियों को अवगत करायें कि उपरोक्त प्रकार का माल ढोने वाले चालकों का प्रशिक्षण राज्य सरकार द्वारा अधिकृत केन्द्रों से ही कराया जाये।

(ख) उपरोक्त प्रकार का प्रशिक्षण दिये जाने का कार्य किये जाने के सम्बन्ध में किसी अनधिकृत संस्था का होना संज्ञान में आने पर तत्काल नियमानुसार प्रभावी विधिक कार्यवाही की जाये।

5. उक्त परिपत्र में प्रदेश सरकार द्वारा अधिकृत संस्थाओं के सम्बन्ध में दिया गया विवरण पुनः संदर्भ हेतु निम्नवत हैः–

(1) इण्डेन बाटलिंग प्लांट, इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड, गंगागंज, पनकी, कानपुर।

(2) इण्डेन बाटलिंग प्लांट, इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड, पोस्ट ऑफिस हरहुआ, वाराणसी।

(3) एल0पी0जी0 बाटलिंग प्लान्ट–बी, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, साइट नम्बर–2, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम, औद्योगिक क्षेत्र, लखनऊ रोड, उन्नाव।

(4) एल0पी0जी0 बाटलिंग प्लान्ट, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, ग्राम–बोकटा, पोस्ट–सहजनवा, गोरखपुर।

(5) एल0पी0जी0 बाटलिंग प्लान्ट, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, कुर्सी रोड, लखनऊ।

(6) मेसर्स ओम साईं मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल, बी–21, प्रथम तल, सेक्टर–10, नोएडा, गौतमबुद्धनगर।

6. आप यह भी अवगत है कि केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम–9 में किये गये प्राविधान के अनुसार चालक के लाइसेंस पर उपरोक्त प्रकार का पृष्ठांकन राज्य सरकार द्वारा अधिकृत किसी संस्थान में 03दिन तक प्रशिक्षण के उपरान्त जारी प्रमाण–पत्र के आधार पर किया जा किया जा सकता है और इसके लिये सादे कागज पर संबंधित प्रमाण–पत्र के साथ आवेदन किया जायेगा, जिसके आधार पर लाइसेंसिंग अधिकारी द्वारा तदनुसार पृष्ठांकन किया जायेगा। इस प्रकार स्पष्ट है कि लाइसेंस पर उपरोक्त पृष्ठांकन की सरल प्रक्रिया निर्धारित है, जिसके अन्तर्गत केवल यह बात सुनिश्चित किया जाना है कि 03 दिवसीय प्रशिक्षण राज्य सरकार द्वारा किसी अधिसूचित संस्थान में किया गया हो।

7. उपरोक्त के दृष्टिगत निर्देशित किया जाता है कि ड्राइविंग लाइसेंस पर परिसंकटमय एवं खतरनाक माल ढोने हेतु पृष्ठांकन की कार्यवाही उक्त नियमावली में दिये गये प्राविधानों के अनुरूप किया जाना सुनिश्चित किया जाय। इस सम्बन्ध में यदि किसी को परेशान करने की शिकायत प्राप्त होती है तो इसे अत्यन्त गम्भीरता से लिया जायेगा।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(रजनीश गुप्ता)
परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

पृ0सं0–438 प्रावि0 / 13–समदिनांकित

प्रतिलिपि प्रमुख सचिव, परिवहन, उ0प्र0 शासन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(रजनीश गुप्ता)
परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।